



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]
No. 247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 1992/ज्येष्ठ 8, 1914
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 1992/JYAISTHA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 1992

सा. का. वि. 566(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परलुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहाँ तक उनका संबंध सहायक (विदेशी भाषा), फार्म रेडियो रिपोर्टर और फील्ड रिपोर्टर के पदों से है और आकाशवाणी (ट्रांसमिशन एंक्लीक्यूटिव) भर्ती नियमावली, 1974 को उन बातों के सिवाय अधि-क्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया है या करने का लोप किया गया है, आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रसार कार्यपालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी और दूरदर्शन (प्रसार कार्यपालक) भर्ती नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि—

भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति :

जहाँ कहीं उपरोक्त हो वह यह है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
प्रसार कार्यपालक*	1841*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" आराजपत्रित	1400-40-1600-50-2200- द.रो.-60-2800र.
*इसमें निम्नलिखित रूप में अभिहित पद भी सम्मिलित है :—	(1992)	*कार्यभार के आधार	
1. निर्माण सहायक (आकाशवाणी)	पर परिवर्तन किया जा सकता है ।		
2. उप-संपादक (आलेख)			
3. सहायक संपादक (आलेख)			
सहायक संपादक (अनुवाद)			
सहायक संपादक (फार्म और गृह),			
सहायक संपादक (विज्ञान रिपोर्टिंग),			
सहायक संपादक (जनजाति उपभाषा),			
सहायक संपादक (परिवार कल्याण) और			
सहायक संपादक (शैक्षिक प्रसारण)			
4. सहायक (विदेशी भाषा)			
5. फार्म रेडियो रिपोर्टर			
6. फील्ड रिपोर्टर			
अन्य पद अथवा अचयन पद		सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं ।	
5		6	
लागू नहीं होता		नहीं	

बोझे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता

7

8

18 से 30 वर्ष के बीच :

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।

क. प्रसार कार्यपालक (साधारण और निर्माण)

आवश्यक अर्हताएं :

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य अर्हता

या

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली से कोई डिप्लोमा या फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे से कोई डिप्लोमा

या

ध्वनि प्रसारण में कोई डिप्लोमा।

2. रिक्ति से सुसंगत भाषा में प्रवीणता।

वांछनीय अर्हताएं :

1. संबद्ध क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और साहित्य से परिचित।
2. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों का ज्ञान।
3. साहित्यिक या नाट्य संबंधों या वाद-विवाद या संगीत संबंधी उपलब्धियों या साहित्यिक या वैज्ञानिक विषयों पर प्रकाशन का अभिज्ञेय।
4. संबंध क्षेत्र की अन्य भाषाओं का ज्ञान।

ख. प्रसार कार्यपालक :

(आलेख)

आवश्यक अर्हताएं :

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य अर्हता।

या

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली से कोई डिप्लोमा या फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे से कोई डिप्लोमा।

या

ध्वनि प्रसारण में कोई डिप्लोमा।

2. रिक्ति से सुसंगत भाषा में प्रवीणता।

वांछनीय अर्हताएं :

1. रिक्ति से सुसंगत भाषा में सुविख्यात लेखक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या पुस्तक रूप में या जर्नल, मैगजीन में या रेडियो के लिए सृजनात्मक लेखन का पांच वर्ष का अनुभव और प्रसारण के लिए आलेख तैयार करने की क्षमता।
2. हिंदी का ज्ञान।
3. संबंध क्षेत्र की अन्य भाषाओं का ज्ञान।
4. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर।
5. समाचारपत्रों/मैगजीन (पत्रिकाओं)/रेडियो और दूरदर्शन में लेखों का योगदान करने का अनुभव।

ग. प्रसार कार्यपालक (फार्म और गृह) :

आवश्यक अर्हताएं :

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में डिग्री या समतुल्य अर्हता।
2. रिक्ति से सुसंगत भाषा में प्रवीणता।

बांछनीय अर्हताएं :

1. विकास क्रियाकलापों में और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रुचि।
2. अंग्रेजी या हिंदी से उस भाषा में जो रिक्ति में सुसंगत है या उस भाषा से अंग्रेजी या हिंदी में ठीक-ठाक अनुवाद करने की योग्यता।
3. कृषि संबंधी विषयों पर पुस्तक-रूप में या जर्नल/मैगज़ीन में या रेडियो के लिए पांच वर्ष का सृजनात्मक लेखन या विस्तार कार्यकता (ग्राम सेवक) के रूप में दो वर्ष का क्षेत्र अनुभव या ग्राम-सेवक या ग्राम विस्तार अधिकारी के रूप में छह वर्ष के अनुभव सहित ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम-सेवक) के रूप में दो वर्ष का प्रशिक्षण और प्रसारण के लिए आलेख तैयार करने की क्षमता।
4. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर।
5. संबंध क्षेत्र की अन्य भाषाओं का ज्ञान।

घ. प्रसार कार्यपालक (शैक्षिक प्रसारण)

आवश्यक अर्हता :

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य अर्हता।
2. शिक्षा-विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा और किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।

बांछनीय अर्हताएं :

1. पुस्तक-रूप में या किसी जर्नल/मैगज़ीन में या रेडियो के लिए, विशेष रूप से बालकों और विद्यार्थियों के लिए, सृजनात्मक या सूचनात्मक लेखन का अनुभव।
2. अतिरिक्त भारतीय भाषाओं का ज्ञान।
3. अध्यापन की आधुनिक पद्धतियों में रुचि।
4. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर।
5. संबंध क्षेत्र की अन्य भाषाओं का ज्ञान।

ङ. प्रसार कार्यपालक (उप-भाषा और अनुवाद)

आवश्यक अर्हता :

1. बैचलर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय रहे हों या दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम रहा हो और दूसरा मुख्य विषय रहा हो।
2. रिक्ति में सुसंगत भाषा/उप भाषा में प्रवीणता।

बांछनीय अर्हताएं :

1. संबद्ध क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और साहित्य से परिचय ।
2. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों का ज्ञान ।
3. यथास्थिति, रिक्ति से सुसंगत भाषा/उप भाषा में अनुवादक/लेखक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
4. यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी से, रिक्ति से सुसंगत उपभाषा में और उस उपभाषा में हिन्दी या अंग्रेजी में ठीक-ठीक अनुवाद करने की योग्यता ।
5. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर ।
6. संबद्ध क्षेत्र की अन्य भाषाओं का ज्ञान ।

च. प्रसार कार्यपालक (विदेशी भाषा) :**आवश्यक अर्हताएं :**

1. बैचलर डिग्री, जिसमें अंग्रेजी मुख्य विषय या परीक्षा का माध्यम रहा हो ।
2. संबद्ध भाषा में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र ।

बांछनीय : अर्हताएं :

1. संबद्ध भाषा में टंकण की योग्यता ।
2. अंग्रेजी में संबद्ध भाषा में अनुवाद करने की योग्यता ।
3. सामयिक विषयों का अच्छा ज्ञान ।
4. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर ।

छ. प्रसार कार्यपालक (परिवार कल्याण) :**आवश्यक अर्हताएं :**

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी सामाजिक विज्ञान/समाज कार्य/उपचर्या में डिग्री ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में ग्रामीण समाजशास्त्र और सामुदायिक विकास या पत्रकारिता में डिप्लोमा ।

2. किसी सरकारी/मान्यताप्राप्त संस्थान में स्वास्थ्य शिक्षा या समाज शिक्षा या जनसंचार या दृश्य-श्रव्य शिक्षा या समाज कार्य या परिवार नियोजन में प्रशिक्षण ।

या

स्वास्थ्य या समाज शिक्षा या समाज कार्य या परिवार नियोजन में दो वर्ष का क्षेत्र अनुभव ।

बांछनीय अर्हताएं :

1. स्वास्थ्य शिक्षा मीडिया के निर्माण और विस्तार के उपयोग में अनुभव ।
2. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर ।

ज. प्रसार कार्यपालक (विज्ञान रिपोर्टिंग) :

आवश्यक अर्हताएँ:

1. किसी मान्यताप्राप्त विषयविद्यालय में विज्ञान में डिग्री।
2. रिक्ति में सुसंगत भाषा में प्रवीणता।

वांछनीय अर्हता :

1. संबद्ध क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और साहित्य में परिचित।
2. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विषयों का ज्ञान।
3. वैज्ञानिक विषयों पर साहित्यिक या वाद-विवाद या प्रकाशन का अभिलेख।
4. प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वर।
5. संबद्ध क्षेत्र की ग्रन्थ भाषा का ज्ञान।

टिप्पण : सुसंगत भाषा में प्रवीणता से यह अभिप्रेत है कि अभ्यर्थी ने उस भाषा/उपभाषा में मैट्रिकुलेशन स्तर तक अध्ययन किया हो और यदि सुसंगत भाषा/उपभाषा मैट्रिकुलेशन में एक विषय के रूप में न पढ़ाई गई हो तब उक्त भाषा/उपभाषा अभ्यर्थी की मातृभाषा हो या उसे 'कार्यसाधक ज्ञान' होना चाहिए, जिसका अवधारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिक्षा की अवधि यदि कोई हो

9

10

नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में बंश्रेणियां जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा

11

12

- (1) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
- (2) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

1. सीधी भर्ती कोटा और प्रोन्नति कोटा के बीच रिक्तियों के आकंठन के प्रयोजनार्थ किसी विशेष राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों या कार्यालयों में की रिक्तियां, इस अनुसूची के उपबंध "क" में प्रत्येक मामले में यथा-उपस्थित आकाशवाणी केन्द्रों के अधिन द्वारा, एक सूच में रखी जाएगी।

प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों में से (जिसके अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के ज्येष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष भी हैं) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसे कार्यक्रम सचिवों, स्टूडियो कार्यपालकों कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों में से (जिसके अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के कनिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष भी हैं) जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति के लिये उक्त संरचना

भरने में कितने परिष्कारियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

प्रोन्नति/पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :

लागू नहीं होता।

1. केन्द्र निदेशक
(राजधानी केन्द्र)
2. ज्येष्ठतम कार्यक्रम अधिकारी, जो सहायक केन्द्र निदेशक की पंक्ति में नीचे का न हो।
3. ज्येष्ठतम इंजीनियरी अधिकारी, जो सहायक केन्द्र इंजीनियर की पंक्ति में नीचे का न हो।

अनुबंध 'क'

विभिन्न राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में प्राकाशवाणी केन्द्रों का नाम
दक्षिण-पश्चिमी सूची

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेअर
3.	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
4.	असम	गुवाहाटी
5.	बिहार	पटना
6.	दिल्ली	दिल्ली केन्द्र
7.	गुजरात	अहमदाबाद
8.	गोवा	पणजी
9.	हरियाणा	रोहतक
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
11.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
12.	कर्नाटक	बंगलौर
13.	केरल	त्रिवेन्द्रम
14.	मध्य प्रदेश	भोपाल
15.	मिजोरम	ऐजवाल
16.	मेघालय	शिलांग
17.	महाराष्ट्र	बम्बई

1	2	3
18.	मणिपुर	इम्फाल
19.	नागालैण्ड	कोहिमा
20.	उड़ीसा	कटक
21.	पंजाब	जालंधर
22.	राजस्थान	जयपुर
23.	तमिलनाडु	मद्रास
24.	त्रिपुरा	अगरमला
25.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
26.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
जोन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित सब राज्य क्षेत्र प्रत्येक के सामने उल्लिखित राज्य का भाग होंगे :		
	चंडीगढ़	पंजाब
	लक्षद्वीप	केरल
	पांडिचेरी	तमिलनाडु

[संख्या 12026/1/88-बी(ए)]

आई. ए. खान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 29 May, 1992

G.S.R. 566 (E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the posts of Assistant (Foreign Language), Farm Radio Reporter and Field Reporter, and the All India Radio (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1974, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Transmission Executive in the All India Radio and Doordarshan, namely:—

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the All India Radio and Doordarshan (Transmission Executive) Recruitment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay—

The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2, 3 and 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. —

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification—No person—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a spouse living; or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post: Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving—

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of the age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Transmission * Executive	1841* (1992)	General Central Service,	Rs. 1400-40-1600-50-
*This includes posts designated as:	*Subject to variation	Group 'C' Non-Gazetted	2200-EB-60-2600.
1. Production Assistant (All India Radio)	dependent on workload.	Non-Ministerial.	
2. Sub-Editor (Scripts)			
3. Assistant Editor (Scripts), Assistant Editor (Translation), Assistant Editor (Farm and Home), Assistant Editor (Science Reporting), Assistant Editor (Tribal Dialect), Assistant Editor (Family Welfare) and Assistant Editor (Educational Broadcast)			
4. Assistant (Foreign Languages)			
5. Farm Radio Reporter			
6. Field Reporter			
Whether selection post or non-selection post			
5			
Not applicable.			

Whether benefit of added years of service
admissible under rule 30 of the Central Civil
Service (Pension) Rules, 1972

Age limit for direct recruits

6

7

No

Between 18--30 years (Relaxable for Government Servants upto
5 years in accordance with the instructions or orders issued by
the Central Government.)

Note: The crucial date for determining the age limit shall be
the closing date for receipt of applications in India (other
than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshad-
weep)

Educational and other qualifications required for direct recruitment.

8

A. TRANSMISSION EXECUTIVE (GENERAL AND PRODUCTION)

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

1. Degree of recognised University or equivalent qualification.

Or

A Diploma from National School of Drama, New Delhi or a Diploma from the Film and Television Ins-
titute, Pune.

Or

A Diploma in Sound Broadcasting.

2. Proficiency in the language relevant to the vacancy.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Acquaintance with the Culture, traditions and the literature of the area concerned.

2. Knowledge of the National and International affairs.

3. Record of literary or dramatic or debating or musical achievements or publication on literary or scienti-
fific subjects.

4. Knowledge of other languages of the area concerned.

B. TRANSMISSION EXECUTIVE:

(SCRIPTS)

ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

1. Degree of a recognised University or equivalent qualification.

Or

A Diploma from National School of Drama New Delhi or a Diploma from the Film and Television Institute,
Pune.

Or

A Diploma in Sound Broadcasting.

2. Proficiency in the language relevant to the vacancy.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Five years standing as a well-known writer in the language relevant to the vacancy or Five years experience of creative writing in book-form or in Journal, Magazines or for Radio and capacity to prepare Scripts for broadcasts.
2. Knowledge of Hindi
3. Knowledge of other languages of the area concerned.
4. Voice suited for broadcasting.
5. Experience of contributing articles to Newspapers/Magazines/Radio and Television.

C. TRANSMISSION EXECUTIVE (FARM AND HOME):**ESSENTIAL QUALIFICATIONS:**

1. Degree in Agriculture of a recognised University or equivalent qualifications.
2. Proficiency in the language relevant to the vacancy.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Keen interest in development activities and in rural areas.
2. Ability to translate correctly from Hindi or English into the language relevant to the vacancy and vice-versa.
3. Five years creative writing in book-form or in Journals/Magazines or for Radio on agricultural subjects or two years field experience as Extension Worker (Gram-Sewak) or two years training as village level worker (Gram-Sewak) with six years experience as Gram-Sewak or village Extension Officer and capacity to prepare scripts for broadcasting.
4. Voice suited for broadcasting.
5. Knowledge of other languages of the area concerned.

D. TRANSMISSION EXECUTIVE (EDUCATIONAL BROADCAST):**ESSENTIAL QUALIFICATION:**

1. Degree of a recognised University or equivalent qualification.
2. Degree or Diploma in Education with two years teaching experience in a Government/Recognised Institution.
3. Proficiency in the language relevant to the vacancy.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Experience of creative or informative writing in book-form or in a Journal/Magazines or for Radio specially for children and students.
2. Knowledge of additional Indian languages.
3. Interest in modern methods of teaching.
4. Voice suited for broadcasting.
5. Knowledge of other languages of the area concerned.

E. TRANSMISSION EXECUTIVE (DIALECT AND TRANSLATION):**ESSENTIAL QUALIFICATION:**

1. Bachelors degree with Hindi and English as main subjects or either of the two as medium of examination and the other as main subject.
2. Proficiency in the language/dialect relevant to the vacancy.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Acquaintance with the Culture, Traditions and Literature of the area concerned.
2. Knowledge of National and International affairs.
3. Five years' experience as Translator/Writer in the language/dialect relevant to the vacancy as the case may be.
4. Ability to translate correctly from Hindi or English as the case may be into the dialect relevant to the vacancy and vice-versa.
5. Voice suited for broadcasting.
6. Knowledge of other languages of the area concerned.

F. TRANSMISSION EXECUTIVE (FOREIGN LANGUAGES):**ESSENTIAL QUALIFICATIONS:**

1. Bachelor's degree with English as main subject or as medium of examination.
2. Diploma or Certificate in the language concerned.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Ability to type in the language concerned.
2. Ability to translate from English to the language concerned.
3. Good knowledge of current affairs.
4. Voice suited for broadcasting.

G. TRANSMISSION EXECUTIVE (FAMILY WELFARE)**ESSENTIAL QUALIFICATIONS:**

1. A Degree in any of the Social Sciences/Social Work/Nursing from a recognised University.
Or
A Diploma in Rural Sociology and Community Development or Journalism from a recognised University or Institution.
2. Training in Health Education or Social Education or Mass Communication or Audio-Visual Education or Social Work or Family planning from a Government/Recognised Institution.
Or
Two years field experience in Health or Social Education or Social Work or Family Planning.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

1. Experience in production and use of extension or Health Education media.
2. Voice suited for broadcasting.

H. TRANSMISSION EXECUTIVE (SCIENCE REPORTING):**ESSENTIAL QUALIFICATION:**

1. Degree in Science from a recognised University.
2. Proficiency in the language relevant to the vacancy.

DESIRABLE QUALIFICATION:

1. Acquaintance with Culture, Traditions and Literature of the area concerned.
2. Knowledge of National and International affairs.
3. Record of literary or debating or publications on scientific

4. Voice suited for broadcasting.
5. Knowledge of other language of the area concerned.

*NOTE: Proficiency in the relevant language means that a candidate must have studied in that language/dialect upto Matriculation level and in case the relevant language/dialect is not taught as a subject in Matriculation, then the said language/dialect must be the mother-tongue of the candidate or he/she should have the 'working knowledge' which shall be determined by the Staff Selection Commission.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, transfer, deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
9	10	11
No.	2 years for direct recruits.	(i) 90% by direct recruitment. (ii) 10% by promotion, failing which by direct recruitment. 1. For the purpose of allocation of vacancies between the direct recruitment quota and promotion quota the vacancies at all the Stations or Offices of All India Radio and Doordarshan in a particular State or Union Territory will be pooled together by Head of All India Radio Stations as indicated in each case in Annexure-'A' to this Schedule.
In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
PROMOTION: From amongst Senior Librarians (including those of the Directorate General : All India Radio, New Delhi) with 3 years' regular service in the grade, failing which from amongst Programme Secretaries, Studio Executives, Junior Librarians (including those of Directorate General : All India Radio, New Delhi) with 5 years' regular service in the respective grades.	Departmental Promotion Committee for promotion/confirmation. 1. Station Director (Capital Station) 2. Senior most Programme Officer not below the rank of Assistant Station Director. 2. Senior most Engineering Officer not below the rank of Assistant Station Engineer.	Not applicable.

ANNEXURE 'A'

List showing the names of All India Radio Station in the respective States/Union Territories

Sl. No.	Name of States/Union Territories	Name of Station
1.	Andhra Pradesh	Hyderabad
2.	Andaman and Nicobar Islands	Port Blair
3.	Arunachal Pradesh	Itanagar
4.	Assam	Guwahati
5.	Bihar	Patna
6.	Delhi	Delhi Station
7.	Gujarat	Ahmedabad
8.	Goa	Panaji
9.	Haryana	Rohtak
10.	Himachal Pradesh	Simla
11.	Jammu and Kashmir	Srinagar
12.	Karnataka	Bangalore
13.	Kerala	Thiruvananthapuram
14.	Madhya Pradesh	Bhopal
15.	Mizoram	Aizwal
16.	Meghalaya	Shillong
17.	Maharashtra	Bombay
18.	Manipur	Imphal
19.	Nagaland	Kohima
20.	Orissa	Cuttack
21.	Punjab	Jullundar
22.	Rajasthan	Jaipur
23.	Tamil Nadu	Madras
24.	Tripura	Agartala
25.	Uttar Pradesh	Lucknow
26.	West Bengal	Calcutta

For the purpose of zone, the following Union Territories will form part of the States mentioned against each:

Chandigarh	Punjab
Lakshadweep	Kerala
Pondicherry	Tamil Nadu

[No. 12026/1/89-B (A)]
IMTIZA A KHAN Jt. Secy.